



राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 1529/2018

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
राजेन्द्र प्रसाद महर्षि 34/69, राम भवन, किरण पथ, मानसरोवर जयपुर, राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप निदेशक (समाचार) सूचना एवं जन संपर्क निदेशाल, शासन सचिवालय जयपुर

**द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
निर्णय**

दिनांक : 04-04-2018

1. अपीलार्थी उपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री अनिल वर्मा, कनिष्ठ सहायक, उपस्थित।
3. मैंने उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने आवेदन दिनांक 7-7-17 प्रस्तुत कर, पूर्व प्रेषित पत्र दिनांक 6-8-16 के सम्बन्ध में कतिपय सूचना चाही थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान अपीलार्थी ने निवेदन किया कि उन्हें अभी तक चाही गई सूचना के क्रम में नोटशीट की प्रति उपलब्ध नहीं करवाई गई है। प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी को अभिलेख पर उपलब्ध सूचना पत्र दिनांक 8-3-18 के साथ संलग्न कर प्रेषित कर दी गई है।
6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलार्थी को पत्र दिनांक 8-3-18 प्रेषित किया है जिसकी प्रति आयोग को भी पृष्ठांकित की है के द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध सूचना का प्रेषण कर दिया गया है।
7. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के आवेदन में विशिष्टियों का अभाव है। अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ पत्र दिनांक 26-7-16 जो कि संलग्नक-1 दर्शाया है, को संलग्न कर प्रस्तुत नहीं किया गया है। फिर भी प्रत्यर्थी द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध सूचना के सम्बन्ध में प्राप्त सूचना संलग्न कर प्रेषित की है।
8. अपीलार्थी प्राप्त सूचना से सन्तुष्ट नहीं है, अतः प्रत्यर्थी को निर्देश दिये जाते हैं कि आदेश प्राप्ति के 21 दिवस में अपीलार्थी को पंजीकृत पत्र द्वारा एक निश्चित

दिनांक, समय व स्थान पर सूचना से सम्बन्धित अभिलेखों के अवलोकन हेतु आमंत्रित कर लें। अपीलार्थी के अभिलेखों के अवलोकनोपरान्त उनके द्वारा सूचना के आवेदन के अनुक्रम में चिह्नित एवं नियमानुसार देय सूचना निःशुल्क अधिप्रमाणित एवं हस्ताक्षरित कर उपलब्ध करा दें।

9. अस्तु, वर्तमान अपील उपरोक्तानुसार निस्तारित की जाती है।
10. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त